कलेक्टर, जिला बीजापुर, छ0ग0

दूरभाष –कार्यालय 07853-220022 फैक्स – 07853- 220019 ईमेल bijapur.c

निविदा विज्ञप्ति

क्रमांक/1022/कले0/प्रपत्र/2017 बीजापुर, दिनांक 13/04/2017

बीजापुर जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कार्यालयीन कार्य में लगने वाले समस्त कार्यालयीन लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक सामग्री, प्रिन्टर कार्टरेज, फोटोकापी टोनर, नियम/अधिनियम पुस्तक क्रय करने तथा कार्टरेज रिफिलिंग, फोटोकॉपी प्रति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता हैं। उक्त सामग्री निविदा भरने हेतु नियम एवं शर्ते तथा निविदा फार्म दिनांक 03.05.2017 तक कार्यालयीन समय सायं 5.00 बजे तक जिला कार्यालय बीजापुर में प्राप्त कर सकते हैं। **निविदा फार्म <u>www.bijapur.gov.in</u> वेबसाईड से भी अपलोड किया जावेगा।** निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04.05.2017 को सांय 5:00 बजे तक एवं दिनांक 05.05.2017 को प्रातः 11:00 बजे प्रातः निविदा खोली जावेगी। निविदादाता ₨ 10000.00 रूपये का एफ.डी.आर. (सूरक्षा निधि) सेम्पल सहित प्रस्तुत करेंगें। सेम्पल एवं एफ.डी.आर. (सुरक्षा निधि) नही होने पर उनके निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

कलेक्टर
जिला बीजापुर

पृ0क्रमांक/1022अ/कले./प्रपत्र/2017 बीजापुर, दिनांक 13/04/2017

प्रतिलिपिः–

1. सहायक संचालक जन सम्पर्क, जिला बीजापुर की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (डी0आई0ओ0) जिला कार्यालय बीजापुर को उक्त विज्ञप्ति जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला बीजापुर

D:\ASSIT. NAZIR\tender\nivida.doc rana

कलेक्टर, जिला बीजापुर, छ0ग0

दूरभाष –कार्यालय 07853-220022 फैक्स – 07853- 220019 ईमेल bijapur.cg@nic.in

बीजापुर, दिनांक 13 / 04 /2017

क्रमांक/1023 /कले0/प्र.शा./2017

–:: निविदा शर्ते ::–

कार्यालय की निविदा विज्ञप्ति क्रमांक/....1022..../कले./प्रपत्र/2017 बीजापुर, दिनांक 13/04/17 के द्वारा लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक सामग्री, प्रिन्टर काटरेज, फोटाकापी टोनर, नियम/अधिनियम पुस्तक कय करने तथा काटरेज रिफिलिंग, फोटोकॉपी प्रति हेतु निविदा की निम्नलिखित नियम एवं शर्ते लागू की जाती हैं :–

1. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/एड/स्पीड पोस्ट अथवा पी0एन0टी0 विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जावेगी। निविदा कार्यालयीन अवधि में निर्धारित टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है।
2. निविदा पत्र दिनांक 03/05/17 तक समय अपरान्ह 5:00 बजे तक विक्रय की जावेगी। निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 04/05/17 को सांय 5:00 बजे तक होगी। निविदा पत्र दिनांक 05/05/17 को 11:00 बजे जिला कार्यालय बीजापुर में खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता या उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
3. निविदा हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 10000=00/का बैंक ड्रॉफ्ट/ टी0डी0आर0/ एफ0डी0आर0 जो कलेक्टर, बीजापुर के नाम से देय हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि की राशि संलग्न नहीं होने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफे में प्रपत्र (1) से संबंधित अभिलेख तथा संस्था का वाणिज्यकर प्रमाण-पत्र, पेन नम्बर, समाशोधन प्रमाण-पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, सुरक्षा निधि की राशि या उससे छूट संबंधी प्रमाण 'पत्र रखा जावेगा तथा दूसरे लिफाफे में प्रपत्र (2) सामग्री का मूल्य कथन पत्रक (निविदा पत्र) रखकर तद्नुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा।

   क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम लिफाफे (प्रपत्र-1) को खोला जावेगा। वांछित अभिलेख पूर्ण होने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात मूल्यकथन पत्रक (प्रपत्र-2) खोला जावेगा। प्रथम लिफाफे पर वांछित दस्तावेज नहीं होने पर संस्थान को अपात्र करते हुए मूल्यकथन पत्रक नहीं खोला जावेगा एवं उस निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।
5. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह नहीं खोली जायेगी। तथा वापस लौटा दी जायेगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने के तिथि व समय अंकित किया जावेगा।
6. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं की जावेगी।

D:\ASSIT. NAZIR\tender\nivida.doc rana

7. निविदादाताओं को फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई बकाया नहीं है इस आशय का समाशोधन प्रमाण-पत्र प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान वहां स्थित है का प्रमाण-पत्र प्रथम लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा।

(क) सामग्री हेतु प्रस्तावित दर में समस्त कर, लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन दर शामिल होगा।

(ख) सामग्री की दरे अनुमोदित होने पर प्रथम दर अनुमोदित संस्थान एवं द्वितीय दर अनुमोदित न्यूनतम संस्थान की सुरक्षाा निधि राशि रोककर शेष संस्थाओं की सुरक्षा निधि राशि तत्काल वापस कर दी जावेगी।

8. निविदाकर्ता को सामग्री का परिवहन करना होगा। जिसके लिए पृथक से राशि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

9. कायदिश जारी होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में सामग्री परिवहन/प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समयावधि में आपूर्ति/परिवहन नहीं किया जाता है तो अर्थदण्ड अधिरोपित की जावेगी।

10. अन्य बातें समान रहने पर आई.एस.आई. तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जावेगी।

11. फोटोकॉपी का दर केवल बीजापुर जिले के फर्मो का ही स्वीकृत किया जावेगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

कलेक्टर
जिला बीजापुर